

प्रपत्र-1

परियोजना का नाम

नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के सालिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु अगस्त्यमुनि-सौड भट्ट गांव मोटर मार्ग पर अगस्त्यमुनि रिजर्व कक्ष संख्या-01 में चयनित 0.90 है0 आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि के कूड़ा निस्तारण हेतु, मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), NGT एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2016 के प्राविधानों व गाइड लाइन के अनुसार आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पद्धति के अनुरूप कूड़े का निस्तारण किया जाना है, जिस हेतु कम से कम 45-50 नाली (लगभग 1 है0) भूमि की आवश्यकता है। नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि जिसकी आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6557 है। उक्त आबादी अगस्त्यमुनि नगर पंचायत में मूल निवास करने वाले लोगों की है किन्तु काफी आबादी ऐसी है जो आस-पास के क्षेत्रों की है व नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में निवासरत है सुविधाओं का उपभोग करती है किन्तु अपने गांवों में अपनी जनगणना करवाती है। इसके साथ ही नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव स्थल भी है साथ जनपद में रुद्रप्रयाग के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगस्त्यमुनि केदारघाटी क्षेत्र का मुख्य वाणिज्यिक स्थल होने के साथ-साथ जनपद के शिक्षा का केन्द्र भी है। अगस्त्यमुनि में स्पोर्ट्स कालेज भी संचालित है। साथ जनपद स्तरीय सभी कार्यक्रम यथा-लोकसभा निर्वाचन, विधानसभा निर्वाचन, त्रिस्तरीय व नगर निकायों की समस्त कार्यवाहियां अगस्त्यमुनि से संचालित होती है। अगस्त्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनपद, राज्य एवं अखिल भारतीय स्तर के खेल-कूद प्रतियोगिताएं होती हैं। वर्तमान में अगस्त्यमुनि में 4500 से अधिक दुकानों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों है। श्री केदारनाथ यात्रामार्ग में होने के कारण यात्राकाल में अगस्त्यमुनि में देश विदेश से तीर्थ यात्री व पर्यटक आवागमन करते हैं। इस प्रकार वर्तमान में नगर पंचायत की अनुमानित आबादी 12500 से अधिक है व यात्राकाल में प्रतिदिन 2500-3000 यात्री व पर्यटक नगर से आवागमन करते हैं। नगर पंचायत वर्ष 2012 में सृजित हुई है एवं वर्तमान में सॉलेड मैनेजमेंट हेतु कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं है।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु भूमि प्राप्त होने से नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि सीमान्तर्गत प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कूड़ा जो कि प्रतिदिन लगभग 2.0 टन से 2.5 टन है का निस्तारण सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2016 के प्राविधानों / स्वच्छ भारत मिशन/NGT द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के क्रम में किया जाना सम्भव हो सकेगा। इस परियोजना से जहाँ नगर पंचायत, सीमान्तर्गत वर्तमान में निवारत 12500 से अधिक की जनसंख्या व 450 से अधिक व्यापारिक प्रष्ठान एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से खरीदारी करने एवं एक वर्ष में चारधाम यात्रा पर जाने वाले औसतन 2500 से 3000 व्यक्तियों/प्रतिदिन लाभान्वित होंगे वहीं नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि सीमान्तर्गत स्वच्छता सम्बन्धित मापदण्डों को पूर्ण करते हुए हजारों व्यक्तियों को स्वस्थ लाभ प्राप्त होगा। साथ ही नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि से गुजरती हुई मंदाकिनी नदी को भी स्वच्छ रखा जाना सम्भव हो सकेगा।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु चयनित उक्त भूमि की मन्दाकिनी नदी से सीधी दूरी (हवाई) 500 मीटर से अधिक है एवं अगस्त्यमुनि नगर से 3.50 कि०मी० से अधिक है।

अतः नगर पंचायत अगस्त्यमुनि (जनपद-रुद्रप्रयाग) के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु चयनित आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर प्रस्तुत है।

भूमि का प्रकार-	वन पंचायत भूमि	-	0.00	हेक्टेयर
	सिविल सोयम वन भूमि	-	0.00	हेक्टेयर
	आरक्षित वन भूमि	-	0.90	हेक्टेयर
	नाप भूमि	-	0.00	हेक्टेयर
	कुल क्षेत्रफल	-	0.90	हेक्टेयर
	वांछित क्षेत्रफल	-	0.90	हेक्टेयर ✓

अधिसूची अधिकारी,
Nagar Panchayat Augustyamuni
(Rudraprayag-Uttarakhand)

31.11/1
Chairman
Nagar Panchayat Augustyamuni
(Rudraprayag-Uttarakhand)